न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2023 **दायर दिनांकः 13/06/2023**

उनवान

1. मोहम्मद हनीफ आयु 54 वर्ष पुत्र सुलेमान जाति, मुसलमान निवासी कुंजेड हाल मुकाम कोटा 7D 55 विज्ञानु नगर कोटा जिला कोटा (राज.)
2. जाकिर हुसैन आयु 47 वर्ष पुत्र सुलेमान जाति मुसलमान निवासी कुंजेड हाल मुकाम कोटा E65 छत्रपुरा तालाब विज्ञान नगर कोटा (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 19.12.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल कुंजेड में खाता संख्या 505 के खसरा न. 758 का रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा न. 759 का रकबा 1.23 है0 किस्म चाही प्रथम की कुल किता 2 का रकबा 1.28 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के पिता के स्व[illegible] दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने प्रार्थी क्रम 1 का नाम मोहम्मद हनी[illegible] कर दिया व इसी प्रकार प्रार्थी क्रम 2 जाकिर हुसैन के स्थान [illegible] है, ज[illegible] प्रार्थीगण के अन्य दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्कूल की मार्कशीट आदि दस्तावेजो में सही नाम मोहम्मद हनीफ व जाकिर हुसैन दर्ज है। जमाबन्दी में व दस्तावेजी रिकॉर्ड में अलग—अलग नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

होने से प्रार्थीगण को भूमि का विकास करवाने व अन्य कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे प्रार्थीगण दुरुस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण ने दिनांक 22/03/2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब से राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करने का निवेदन किया तो तहसीलदार साहब ने माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी। इसलिए माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुति कारण जमाबन्दी की नक़ल प्राप्त करने पर नाम गलत होने की जानकारी होने पर दिनांक 22/03/2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू से नाम दुरुस्ती का निवेदन करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पेन कार्ड, स्कूल की मार्कशीट में प्रार्थीगण के नाम मोहम्मद हनीफ व जाकिर हुसैन दर्ज है, प्रार्थीगण इस अनुसार प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करवाने के अधिकारी है बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम कुंजेड तह. अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी ग्राम एवं माल कुंजेड में खाता संख्या 505 के खसरा न. 758 का रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा न. 759 का रकबा 1.23 है0 किस्म चाही प्रथम की कुल किता 2 का रकबा 1.28 है0 में प्रार्थी क्रम 1 का नाम मोहम्मद हनिफ के स्थान पर मोहम्मद हनीफ व पाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर हुसैन दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से [illegible] ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3641 दिनांक 09.12.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थीगण की मौखिक बहस सूनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल कुन्जैड सम्वत 2074–77 खाता संख्या 505, आधार कार्ड मोहम्मद हनीफ, पेन कार्ड मोहम्मद हनीफ, सैकण्डरी स्कूल अंक तालिका मोहम्मद हनीफ, आधार कार्ड जाकिर हुसैन, पेन कार्ड जाकिर हुसैन, माध्यमिक परीक्षा अंक तालिका जाकिर हुसैन व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल कुंजेड में खाता संख्या 505 के खसरा न. 758 का रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा न. 759 का रकबा 1.23 है0 किस्म चाही प्रथम की कुल किता 2 का रकबा 1.28 है0 आराजी में सहखातेदार मोहम्मद हनिफ के स्थान पर मोहम्मद हनीफ व पाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर हुसैन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल कुंजेड में खाता संख्या 505 के खसरा न. 758 का रकबा 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह, खसरा न. 759 का रकबा 1. 23 है0 किस्म चाही प्रथम की कुल किता 2 का रकबा 1.28 है0 आराजी में सहखातेदार मोहम्मद हनिफ के स्थान पर मोहम्मद हनीफ व पाकिर हुसैन के स्थान पर जाकिर हुसैन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.02.18 12:02:23 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां